कार्यालय महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखा परीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (आईसीईडी)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL, iCED, JAIPUR

आरटीआई कैंपस, एजी कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर/ RTI Campus, A.G. Colony, Bajaj Nagar, Jaipur - 302015

*******************************************************************************

**कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी सूचना**

**कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013**

**[POSH Act, 2013]**

इस कार्यालय में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक, गरिमापूर्ण एवं भयमुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) पूर्णतः निषिद्ध है तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 [POSH Act, 2013] के अंतर्गत दंडनीय है। यह कार्यालय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य-सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाता है।

**यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित आचरण सम्मिलित हो सकते हैं–**

अवांछित शारीरिक संपर्क अथवा अनुचित स्पर्श

यौन संबंध/यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध

अशोभनीय, अश्लील अथवा आपत्तिजनक टिप्पणियाँ, संकेत, चुटकुले या संदेश

अश्लील/अनुचित चित्र, वीडियो, ई-मेल, व्हाट्सऐप संदेश आदि भेजना, दिखाना अथवा प्रसारित करना

किसी महिला को असहज, अपमानित, भयभीत या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण में डालना

पद, प्रभाव या अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अनुचित व्यवहार करना

**शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया**

यदि किसी महिला कर्मचारी/कार्मिक के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना घटित होती है, तो वह–

आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee - IC) के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकती है;

घटना की तिथि से 03 माह के भीतर शिकायत दर्ज करा सकती है;

आवश्यकता होने पर शिकायत लिखने में सहायता प्राप्त कर सकती है।

शिकायत दर्ज कराने हेतु संपर्क करें

**आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee - IC)**

**Presiding Officer:**

श्रीमती मीना बिष्ट, निदेशक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान)/0141-2772013

**सदस्य:**

श्री हरीश खुराना, उप-निदेशक (प्रशासन)/0141-2772005

श्रीमती नेहा जाखड़, सहायक प्रशासनिक अधिकारी/0141-2772020

**बाह्य सदस्य:**

सुश्री भारती सिंह चौहान/ praveenlatasansthan@gmail.com

**नोडल अधिकारी:**

श्रीमती नेहा जाखड़, सहायक प्रशासनिक अधिकारी

**संपर्क / ई-मेल:**

jakharn.ahd.pdac@cag.gov.in

**She-Box Portal**: -http://shebox.wcd.gov.in

**महत्वपूर्ण बिंदु**

शिकायत एवं जांच कार्यवाही पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

शिकायतकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की प्रतिशोधात्मक/दंडात्मक कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है।

दोष सिद्ध होने पर प्रचलित सेवा नियमों के अनुसार उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सभी अधिकारी/कर्मचारी कार्यस्थल पर शिष्ट, सम्मानजनक एवं संवेदनशील आचरण बनाए रखें।

**सभी कर्मचारियों हेतु Do's & Don'ts**

**Do's**

सहकर्मियों के प्रति सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण व्यवहार करें।

कार्यस्थल पर शिष्टाचार, संवेदनशीलता एवं व्यावसायिक आचरण बनाए रखें।

किसी अनुचित घटना की जानकारी होने पर संबंधित प्राधिकारी/IC को तत्काल सूचित करें।

**Don'ts**

किसी भी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी, संकेत, मज़ाक या संदेश न करें।

किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक, मौखिक अथवा डिजिटल संपर्क न करें।

पद, प्रभाव या अधिकार का उपयोग कर किसी प्रकार का दबाव या अनुचित अपेक्षा न रखें।

महिला सहायता हेतु

**Women Helpline**: 181

One Stop Centre (OSC) / अन्य सहायता सेवाएँ: आवश्यकतानुसार उपलब्ध

सभी अधिकारी/कर्मचारी POSH Act, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा एवं सम्मान बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

गौरव

**वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासन**